राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.12(6)वित्त/नियम/2009 जयपुर, दिनांक : 18 MAY 2023

परिपत्र

विषय :- सार्वजनिक उपक्रमों / बोर्ड इत्यादि के सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों को सार्वजनिक उपक्रमों / बोर्ड इत्यादि में विशेष परिस्थिति में पुनर्नियुक्त किये जाने के संबंध में।

वित्त विभाग के ध्यान में आया है कि सार्वजनिक उपक्रमों/बोर्ड इत्यादि के सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों को सार्वजनिक उपक्रमों/बोर्ड इत्यादि में विशेष परिस्थिति में पुनर्नियुक्त किये जाने के संबंधित नियमों में स्पष्टता नहीं होने के कारण विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों/बोर्ड इत्यादि में सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों को पुनर्नियुक्त किये जाने की प्रक्रिया में समरूपता नहीं है।

अतः उक्त प्रक्रिया में समरूपता हेतु यह निर्णय लिया गया है कि सभी सार्वजनिक उपक्रम/बोर्ड इत्यादि, सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों को सार्वजनिक उपक्रमों/बोर्ड इत्यादि में विशेष परिस्थिति में लोक हित में पे माईनस पेंशन के आधार पर एक वर्ष या नियमित नियुक्ति या पदोन्नति के आधार पर कार्मिकों की उपलब्धता, जो भी पहले हो, के लिये पुनर्नियुक्ति हेतु प्रस्ताव माननीय विभागीय मंत्री महोदय के अनुमोदन के पश्चात् प्रशासनिक विभाग के माध्यम से रेपसर एक्ट, 1999 के अन्तर्गत वित्त विभाग को अनुमोदन हेतु भिजवाना सुनिश्चित करावें।

(रोहित गुप्ता)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मा. मंत्री महोदय/राज्यमंत्री महोदय/संसदीय सचिवगण।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर ।
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर ।
10. उप निदेशक (सांख्यिकी), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
11. विधि रचना संगठन, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. समस्त कोषाधिकारी/उपकोषधिकारी।
13. प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–7) विभाग (7 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
14. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल)।
15. समस्त अनुभाग, शासन सचिवालय।
16. रक्षित पत्रावली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर ।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।

18/5/23

(सुरेश कुमार वर्मा)
संयुक्त शासन सचिव–I,
वित्त (नियम) विभाग

(पेंशन 5/2023)